

14/3. एम. ए. सम्पर्क सड़क काटिहार (अरिहाना) - 14/11

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
-:अधिघोषणा :-

संख्या :- 1321/रा.भू-अर्जन

कटिहार, दिनांक - 21-05-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा अरिहाना थाना नं 481 थाना कदवा परगना कुमारीपुर जिला कटिहार के अन्तर्गत तीन धरिया केवट टोला से जिला परिषद सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम अरिहाना थाना नं 481 के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.05 एकड़(पॉंच डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्न प्रकार है- 700,699 का अंश है।


जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर :- मौजा अरिहाना थाना नं 481 का सर्वे बिहार सरकार रोड।
दक्षिण :- मौजा अरिहाना थाना नं 481 का सर्वे खेसरा नं 698 बिहार सरकार रोड।
पूरब :- मौजा अरिहाना थाना नं 481 का सर्वे खेसरा नं 700 एवं 699 का अंश।
पश्चिम :- मौजा अरिहाना थाना नं 481 का सर्वे खेसरा नं 700 एवं 699 का अंश।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 के खण्ड (1)के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार
अपर सहायक कटिहार
सूचना अधिकारी कटिहार

बिहार राज्यपाल के आदेश से

301
(गोपबन्धु सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

शापांक :- 1321/रा.भू-अर्जन दिनांक 21-05-13/

प्रतिलिपि:- निदेशक,भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू-अर्जन कटिहार को दी जाय।

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनोपरान्त 5-5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, कटिहार/मुखिया ग्राम पंचायत राज सुखासन को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार
अपर सहायक कटिहार
सूचना अधिकारी कटिहार

सरकार के अवर सचिव